

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 4

जुलाई, 2008

विषयः— उ0 प्र0 राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत—2008 में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति दिए जाने विषयक।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 1484 / सू0 एवं ज0 सं0 वि0 (प्रेस) — 36 / 2004 दिनांक 19—06—2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उक्त संबंध में सम्यक विचारोपरांत शासन द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 950 / उन्नीस—1—2008—205 / 2002, दिनांक 30 मई, 2008 में संशोधन करते हुए संशोधित उ0 प्र0 राज्य मुख्यालय मण्डल जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मन्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका—2008 एतद्द्वारा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निर्देश हुआ है। कृपया उक्त मार्गदर्शिका—2008 के अनुसार ही अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3— उक्त सदर्भित शासनादेश दिनांक 30 मई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(सुनील कुमार)
सचिव

सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर
मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका—2008

1. शीर्षक—

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों को संक्षेप में उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका—2008 कहा जायेगा।

2— लागू करने की तिथि व कार्यक्षेत्र —

ये मार्गदर्शिका सिद्धांत उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय एवं मण्डल, जिला, तहसील पर कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु बनाये गये हैं और इनको लागू करते समय पूर्व के एतदसम्बन्धी सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों को निष्प्रभावी/अतिकमित कर दिया गया है।

3— संशोधन —

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति अथवा सूचना निदेशक इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में संशोधन हेतु समय—समय पर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भेजते रहेंगे।

4— पभिषाएं —

4.1 उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति का अर्थ उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप बनायी गयी है।

4.2 समाचार—पत्र से आशय वही है जो प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन बुक एकट—1868 में प्रविधानित है।

4.3 समाचार—मीडिया में समाचार—पत्र वायर और नान वायर समाचार एजेंसी न्यूज फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एजेंसी, जो जनहित में समाचारों और आलेखों का प्रकाशन / प्रसारण करती है, शामिल है।

4.4 दैनिक समाचार पत्र का आशय वही है जो पी0आर0बी0 एकट में परिभाषित है और इसका प्रकाशन कम से कम सप्ताह में पांच दिन होना आवश्यक है।

4.5 साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्र कमशः एक वर्ष में कम से कम 45 तथा 22 अंको का प्रकाशन करेंगा।

4.6 सूचना निदेशक से आशय उस अधिकारी से है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है।

4.7 वर्किंग जर्नलिस्ट से अर्थ वही है जो वर्किंग जर्नलिस्ट एण्ड अदर इम्पालइज कंडीशन आफ सर्विस एण्ड मिसलेनियंस प्राविजन एकट—1995 में परिभाषित है।

4.8 मान्यता से आशय उस अधिकार से है, जो मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत करता है।

4.9 इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया आर्गनाइजेशन (टेलीविजन या रेडियो) में टी0वी0/रेडियो न्यूज प्रोग्राम प्रोडक्शन यूनिट तथा टी0वी0/रेडियो न्यूज एजेंसी शामिल होंगे।

- 5.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने का कार्य इन मार्गदर्शिका के प्रविधानों के अनुरूप करेगी।
- 5.2 उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष होंगे और अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र हो।
- 5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से दो वर्ष होगा प्रेस मान्यता समिति की बैठक तीन महीने में एक बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।
- 5.4 समिति द्वारा समस्त निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा।
- 5.5 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी जायेगी जिसमें ऐसे पांच सदस्य लिये जायेंगे जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तात्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय ले लें। इस समिति के द्वारा लिये गये सभी निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।
- 5.6 निदेशक को ऐसे प्रकरणों में मान्यता स्थानान्तरण का अधिकार होगा जो एक संस्थान/ समाचार पत्र को छोड़कर दूसरे ऐसे समाचार पत्र/ संस्थान में चले गये हो, जिनके प्रतिनिधियों को मार्गदर्शिका के अनुरूप मान्यता प्रदान की जा सकती है।
- 6— मान्यता के सामान्य नियम:-**
- 6.1 विभिन्न प्रकार के मीडिया संस्थानों (प्रिन्ट/ इलेक्ट्रानिक) के प्रतिनिधियों को उन शर्तों के अधीन निर्धारित संस्था में मान्यता दी जायेगी, जिनका उल्लेख मार्गदर्शिका के परिषिष्ट-1, 2 में किया गया है।
- 6.2 मान्यता (दो वर्ष हेतु) केवल उन्हीं प्रतिनिधियों को दी जायेगीं, जिनकी तैनाती तथा निवास राज्य मुख्यालय पर हो।
- 6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा यह केवल इस बात का प्रमाण है कि पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- 6.4 मान्यता केवल उन्हीं मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को दी जायेगी, जो संस्थान कम से कम एक वर्ष से अस्थित्व में हों।
- 6.5 प्रकाशनों में कम से कम 50 प्रतिशत समाचार जनहित में होने चाहिए और उनमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय द्वारा जारी किये गये समाचार और सूचनाओं का समावेश भी होना चाहिए।
- 6.6 वर्ग विशेष से सम्बन्धित यथा हाउस जर्नल, तकनीकी और किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित प्रकाशनों, युनिवर्सिटी/ विद्यालय/ किसी संस्था या संगठन के प्रकाशनों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों को मान्यता नहीं दी जायेगी।
- 6.7 केबिल टेलीविजन नेटवर्क के कर्मचारियों/ केबिल आपरेटर को मान्यता नहीं दी जायेगी।
- 6.8 जिन परिस्थितियों में मान्यता दी गयी है यदि उनमें परिवर्तन हो गया है तो मान्यता समाप्त हो जायेगी। यदि मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पाये जायेंगे जो भी मान्यता निलम्बित/ वापस ली जा सकेंगी।
- 6.9 यदि किसी प्रतिनिधि द्वारा असत्य सूचनाओं/ अभिलेखों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया गया होगा तो उसे मान्यता समिति द्वारा कम से कम दो वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जायेगा।

6.10 मान्यता समिति को मान्यता स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस मामले में उसका निर्णय अंतिम होगा।

7— मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

7.1 मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण सूचना निदेशक द्वारा प्रेस मान्यता समिति के साथ विचार विमर्श करके किया जायेगा।

7.2 सूचना निदेशक द्वारा मान्यता प्रदान करते समय अथवा उसका नवीनीकरण करते समय कोई भी अभिलेख अथवा सूचना आवेदक अथवा आवेदक के संस्थान से मांगी जा सकेंगी।

7.3 परिशिष्ट एक एवं दो में वर्णित शर्तों /अर्हताओं की पुष्टि के लिए यदि आवश्यक हो, तो **DAVP/RNI/ABC** से जांच के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

7.4 ऐसे दैनिक समाचार पत्र/पत्रिका जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक है, उनसे अपने समाचार पत्र/पत्रिका से सम्बन्धित आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति मांगी जा सकती है।

8— मण्डल मुख्यालय पर मान्यता:-

प्रदेश के बाहर से प्रकासित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम एक लाख हो के एक प्रतिनिधि को मण्डलों के मुख्यालयों में मान्यता दी जा सकती है। विशेष परिस्थिति में सम्पादक द्वारा औचित्य बताने पर अन्य स्थानों पर भी मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का होना आवश्यक है। इसके लिए प्रतिनिधि को प्रारूप-4 के अनुसार आवेदन करना होगा।

9— (अ) प्रदेश के ऐसे दैनिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या पच्चीस हजार से अधिक हो या तथा जिनका मण्डल मुख्यालय पर आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त ब्यूरों कार्यालय स्थागित हो, उनके दो प्रतिनिधियों तथा एक फोटोग्राफर को मान्यता दी जा सकती है।

(ब) प्रदेश के ऐसे दैनिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या पच्चीस हजार से अधिक हो तथा जिनका मण्डल मुख्यालय पर मुद्रण भी होता हो, के चार प्रतिनिधियों तथा एक फोटोग्राफर को मान्यता दी जा सकती है।

10— प्रदेश के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या दस हजार से अधिक हो, के एक प्रतिनिधि को मण्डल मुख्यालय में मान्यता दी जा सकती है।

11— 5 हजार से अधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक अथवा संवाददाता को, यदि वह नियमानुसार अन्य शर्तें भी पूरी करता है, तो मण्डल मुख्यालय पर मान्यता देने पर विचार किया जा सकता है।

12— राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु अनुमन्य इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं एजेंसी के एक संवाददाता और एक कैमरामैन/फोटोग्राफर को ही मान्यता मण्डल स्तर पर दी जा सकेगी।

13—जिला मुख्यालय तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर मान्यता:-

जिला मुख्यालय में मान्यता प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र/समाचार एजेंसी/ इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है।

(i) उयका निवास जिला मुख्यालय में होना चाहिए।

(ii) उसे सक्रिय पत्रकार होना चाहिए।

(iii) वह सरकारी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों आदि का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

14— समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी का सम्पादक या पत्र प्रतिनिधि जिले में मान्यता के लिए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-3 'ब') में निर्धारित आकार की फोटो सहित अपना आवेदन सम्बन्धित जिले में विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। विभागीय अधिकारी प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणी और स्थानीय अभिसूचना ईकाई की रिपोर्ट के साथ आंचलिक उप समिति के विचारर्थ प्रस्तुत करेंगे। सम्पादक प्रतिनिधियों की सूची के साथ उनके पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे। मान्यता कार्ड निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी जारी करेंगे। यदि समिति किसी आवेदन को मान्यता न देने का निर्णय करती है, तो उस दशा में ऐसे निर्णय की सूचना आवेदक को तथा सम्बन्धित समाचार मीडिया/संगठन को दी जायेगी।

15— जनपद से प्रकाशित ऐसे दैनिक समाचार पत्र, जिनकी प्रसार संख्या पांच हजार से दस हजार तक हो तथा पृष्ठ संख्या फुल साइज 04 से कम न हो, के एक प्रतिनिधि को मान्यता दी जायेगी। दस हजार से अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों के दो प्रतिनिधियों को दी जा सकती है। इसमें दैनिक समाचार पत्रों के फोटोग्राफर के आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

16— जनपद के ऐसे साप्ताहिक समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम 3000 तथा पृष्ठ संख्या फुल साइज 04 अथवा टेबलायड साइज 08 हो, के एक प्रतिनिधि/सम्पादक को जिला मुख्यालय पर मान्यता दी जा सकती है।

17— जिले के इलेक्ट्रानिक मीडिया/एजेंसी के प्रतिनिधियों को मान्यता देने के लिए सभी नियम और शर्त राज्य मुख्यालय पर इस हेतु नियत नियमों के अनुरूप होगी। एक चैनल के एक संवाददाता तथा एक कैमरामैन को ही मान्यता जिला स्तर पर दी सकेगी।

18— तहसील स्तर पर मान्यता प्रदान करने की शर्तें निम्नवत् होगी:-

18.1 दैनिक पत्रों के प्रकाशन के जिले अथवा समीपवर्ती जिले के तहसील मुख्यालयों पर अथवा उस जिले के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर रिपोर्टिंग की दृष्टि से तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्यरत उन पत्रकारों को, जिन्हें राज्य स्तर अथवा जिले स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, तहसील स्तर पर मान्यता देने हेतु विचार किया जायेगा। तहसील स्तर से पत्रकार की मान्यता प्रदान करने पर अन्य कोई भी सुविधाएं अनुमन्य नहीं होगी। तहसील में एक समाचार पत्र के एक ही प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान की जायेगी।

18.2 मान्यता कार्ड पर समाचार संकलन के अलावा अन्य कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी।

18.3 समाचार संकलन में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान प्रतिनिधि को शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

18.4 प्रतिनिधि को निर्धारित प्रारूप-3(ब) सम्बन्धित समाचार पत्र के सम्पादक की संस्तुति सहित आवेदन करना होगा।

18.5 आवेदन पत्र के साथ सम्पादक/नियोक्ता द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र संलग्न करना होगा।

18.6 प्रतिनिधि का निवास सम्बन्धित तहसील मुख्यालय में ही होना चाहिए।

18.7 प्रतिनिधियों को पत्रकारिता का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

- 18.8 प्रतिनिधि को सरकारी कार्यालयों स्थानीय निकायों और अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों तथा सरकार द्वारा संचालित वित्त निगमों का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- 18.9 सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा आवेदन पत्र यथास्थिति सम्बन्धित जनपद के उप सूचना निदेशक/सहायक सूचना निदेशक/सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
- 19— मान्यता के लिए समाचार पत्र का नियमित होना आवश्यक है। नियमितता की पुष्टि जिला सूचना कार्यालय में प्राप्त समाचार पत्र के पृष्ठों के आधार पर होगी। समाचार पत्र की नियमितता कम से कम 80 प्रतिशत प्रकाशन पर मानी जायेगी।
- 20— किसी भी बिन्दु पर मण्डल, जिला और तहसील स्तरीय मान्यता प्रदान करते समय यदि किसी विषय पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु सुसंगत/समरूप प्राविधानों के अनुरूप ही निर्णय लिया जायेगा।
- 21— मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक, सूचना उत्तर प्रदेश को होगा, जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जपनद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार प्रेस मान्यता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(विजय शंकर पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-1

अहंताएः—

ए— समाचार प्रतिनिधि –

क्र.सं.	श्रेणी	शर्ते
1.	संवाददाता / कैमरामैन तथा स्वतंत्र पत्रकारों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि	<p>किसी समाचार संगठन में पूर्णकालिक पत्रकार / कैमरामैन के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा समाचार पत्र की न्यूनतम श्रेणी के वेतनमान के अनुसार लगभग ₹ 7000/- प्रतिमाह वेतन।</p> <p>अंशकालिक / मानदेय / रिटेनरशिप के आधार पर कार्यरत संवाददाता / कैमरामैनों को राज्य मुख्यालयपर मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी, विशेष परिस्थितियों में सचिवालय पास देने पर विचार किया जायेगा।</p> <p>संविदा पर कार्य कर रहे वर्किंग जर्नलिस्ट का अनुबन्ध कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए और उसका न्यनतम कुल वेतन ₹ 0 7000/- प्रतिमाह होना चाहिए।</p>
2.	कैमरामैन— कम करेस्पान्डेन्ट	<p>1— पूर्णकालिक कैमरामैन / करेस्पान्डेन्ट के रूप में कार्य करने का कम से कम पांच वर्ष का व्यवसायिक अनुभव तथा न्यूनतम ₹ 0 7000/- प्रतिमाह वेतन।</p> <p>2— सम्पादक / संस्थान के प्रमुख का इस आशय का पत्र कि आवेदन को इस श्रेणी में मान्यता प्रदान की जाय।</p>
3.	स्वतंत्र पत्रकार / कैमरामैन	<p>1— पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कम 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम पांच वर्ष राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त अथवा प्रतिष्ठित समाचार पत्र में सम्पादक / समाचार सम्पादक अथवा उसके समकक्ष पद पर प्रमाणित रूप से 05 वर्ष तक रहा हो।</p> <p>2— पत्रकारिता के माध्यम से उनकी सिद्ध वार्षिक आय रूपये 36000/- से कम न हो। वार्षिक आय का आगणन वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जायेगा।</p> <p>3— उनके आलेख / समाचार / न्यूज / फीचर / फोटोग्राफ आदि कम से कम दो प्रतिष्ठित पत्र / पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हों।</p> <p>4— इस आशय का प्रमाण पत्र / शपथ पत्र देना होगा कि कहीं दूसरी जगह कार्यरत नहीं है।</p>
4.	विशिष्ट और लम्बी सेवा कर चुके पत्रकार (वरिष्ठ पत्रकार)	<p>लम्बी और विशिष्ट सेवा करने वाले पत्रकारों को निम्नलिखित अहंताएं होने पर मान्यता कार्ड जारी किया जा सकेगा:—</p> <p>1— पत्रकार की आयु 60 वर्ष हो।</p> <p>2— वह कम से कम 25 वर्ष तक ऐसे संस्थानों में कार्यरत रहा हो जिसके प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहे हों।</p> <p>3— कम से कम 15 वर्ष तक उसे राज्य मुख्यालय पर मान्यता रही हो।</p> <p>4— इस श्रेणी में प्रदान किया जाने वाला मान्यता कार्ड दो वर्ष के लिए होगा।</p>

--	--	--

राज्य स्तरीय मान्यता हेतु

बी – समाचार पत्र संगठन/प्रिन्ट मीडिया की अर्हता –

क्र.सं.	श्रेणी	अर्हता
1.	दैनिक समाचार पत्र	उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकासित समाचार पत्र, जिनकी प्रसार संख्या 25 हजार तथा जिनकी पृष्ठ संख्या फुल साइज-6 टेबोलाइड साइज में 12 से कम न हो।
2.	साप्ताहिक/पाक्षिक समाचार पत्र एवं पत्रिका पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हों।	साप्ताहिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की प्रसार संख्या 25 हजार तथा उनकी पृष्ठ संख्या फुल साइज-12 व टेबोलाइड साइज में 24 से कम न हो। पाक्षिक समाचार पत्रिकाओं के लिए पृष्ठ संख्या-48 तथा रंगीन आवरण (ए-4 साइज) के एवं प्रसार संख्या 50 हजार से कम न हो।
3.	वायर न्यूज एजेंसी/नान वायर न्यूज एजेंसी	ए— वायर एजेंसी का वार्षिक टर्न ओवर रु0 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए तथा नान वायर एजेंसी का 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। बी— सशुल्क ग्राहक संख्या दोनों प्रकार की एजेन्सियों हेतु 30 से कम नहीं होना चाहिए।
4.	न्यूज फीचर/न्यूज फोटो एजेंसी	वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रु0 5 लाख होना चाहिए तथा सशुल्क ग्राहक संख्या कम से कम 20 होना चाहिए।

सी – न्यूज आर्गनाइजेशन (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) –

(राज्य मुख्यालय पर मान्यता हेतु दो वर्ष का व्यवसायिक/व्यवहारिक अनुभव तथा रूपये 7000/-प्रतिमाह वेतन अनिवार्य है।)

1.	1— टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन/टेलीकास्ट आर्गनाइजेशन टेलीविजन/रेडियो न्यूज प्रोडक्शन आर्गनाइजेशन जिन्होने चैनल/स्टेशनों से एअर टाइम ले रखा हो। 2— सेटेलाइट चैलन। 3— ऐसी संस्थाएं जो न्यूज मैगजीन बनाकर टेलीविजन चैनल/स्टेशन द्वारा टेलीविजन/ब्रॉडकास्ट कराती हो।	इनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम तीस मिनट का समाचार बुलेटिन/कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता हो। ऐसे चैलन जिनके द्वारा अपने एअर टाइम का 15 प्रतिशत समय 24 घंटे में साढ़े तीन घंटे समाचारों अथवा समाचार-परक कार्यक्रमों में लगाया जाता हो। कम से कम प्रति सप्ताह 60 मिनट का प्रसारित कार्यक्रम समाचार अथवा समाचारपरक होना चाहिए।
2.	टेलीविजन न्यूज एजेंसी	ए— न्यूज विलप्स के द्वारा कम से कम तीस लाख रूपये वार्षिक आय, बी— नियमित रूप से कम से कम पांच सेटेलाइट टीवी० न्यूज टेलीकास्टिंग संस्थाओं को न्यूज किलप देते हों।
3.	रेडियो न्यूज एजेंसी	ए— न्यूज किलप्स के माध्यम से कम से कम 15 लाख वार्षिक आय कम से कम पांच रेडियो संस्थाओं को नियमित रूप से न्यूज किलप देते हों।

डी –

विदेशी समाचार मीडिया प्रतिनिधियों और संस्थाओं पर उपरोक्त नियम ही लागू होंगे, परन्तु किसी स्वतंत्र विदेशी पत्रकार को मान्यता नहीं दी जायेगी।

परिशिष्ट-2

(यह भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बनाया गया है, परन्तु अधिकतम संवाददाताओं की संख्या व श्रेणियों की संख्या उत्तर प्रदेश के संसाधन एवं आवश्यकताओं के अनुरूप है)

विभिन्न समाचार पत्रों की श्रेणियों के लिए मान्यता हेतु निर्धारित संवाददाताओं की अधिकतम संख्या

श्रेणी-एक

(जिनके दैनिक बहु-संस्करण उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा एन०सी०आर० से मुद्रित एवं प्रकाशित होते हैं।)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. समस्त संस्करणों की प्रसार संख्या
75 हजार से 5 लाख तक | चार संवाददाता तथा दो फोटोग्राफर |
| 2. 5 लाख से अधिक समस्त संस्करणों
की प्रसार संख्या | छः संवाददाता तथा दो फोटोग्राफर |

श्रेणी-दो

(जिनका केवल राज्य मुख्यालय से एक दैनिक संस्करण प्रकाशित होता है।)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. प्रसार संख्या 25 हजार से 75 हजार तक | दो संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर |
| 2. प्रसार संख्या 75 हजार से अधिक | 3 संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर |

श्रेणी-तीन

(जिनका एक संस्करण प्रदेश के किसी भी जनपद से प्रकाशित होता है।)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. प्रसार संख्या 25 हजार से अधिक | एक संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर |
|----------------------------------|--------------------------------|

श्रेणी-चार

प्रदेश से बाहर छपने वाले ऐसे समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या कम से कम एक लाख से अधिक है,

श्रेणी-पांच

(साप्ताहिक समाचार पत्र एवं साप्ताहिक-पाक्षिक पत्रिका)

- | | |
|---|--|
| 1. प्रसार संख्या 25 हजार से अधिक | एक संवाददाता तथा एक फोटोग्राफर
(फोटोग्राफर केवल पाक्षिक पत्रिकाओं के लिए) |
| 2. एक से अधिक भाषाओं के साप्ताहिक समाचार पत्र/पत्रिका, जिनकी सम्मिलित पचार संख्या (पत्र/पत्रिका) 5 लाख तक | दो संवाददाता और एक फोटोग्राफर
(फोटोग्राफर केवल पाक्षिक पत्रिकाओं के लिए) |

श्रेणी-छ:

(इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूनतम टर्न ओवर एक करोड़)

- (अ) इलेक्ट्रानिक सैटेलाइट चैनल
 (ब) बहुभाषी सैटेलाइट

तीन संवाददाता तथा तीन कैमरामैन
 चार संवाददाता तथा चार कैमरामैन

श्रेणी-सातः

(अ) वायर न्यूज एजेन्सी कुल (वार्षिक टर्न ओवर)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. 20 लाख से 1 करोड़ | 1 प्रतिनिधि 1 छायाकार |
| 2. 1 करोड़ से 2.5 करोड़ | 2 प्रतिनिधि 1 छायाकार |
| 3. 2.5 करोड़ से 5 करोड़ | 4 प्रतिनिधि 2 छायाकार |
| 4. 5 करोड़ से 10 करोड़ | 6 प्रतिनिधि 2 छायाकार |
| 5. 10 करोड़ से अधिक बहुभाषी | 8 प्रतिनिधि 2 छायाकार |

(ब) (नान वायर न्यूज एजेन्सी कुल (वार्षिक टर्न ओवर)

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. 10 लाख से 20 लाख | 1 प्रतिनिधि, 1 छायाकार |
| 2. 20 लाख से अधिक | 2 प्रतिनिधि, 1 छायाकार |

न्यूज फीचर/न्यूज फोटो एजेन्सी:-

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 5. वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख से अधिक | 1 प्रतिनिधि |
|-----------------------------------|-------------|

“परिशिष्ट-3”

(अ) उत्तर प्रदेश मुख्यालय पर समाचार मीडिया संगठन के प्रतिनिधि द्वारा प्रेस मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र :—

(कृपया पूरा नाम लिखें)

1.	नाम				
2.	पिता का नाम				
3.	शैक्षिक योग्यता				
4.	जन्म तिथि				
5.	मीडिया संस्थान का नाम एवं पूरा पता				
6.	पदनाम				
7. अ	नियुक्ति तिथि				
7. ब	वेतनमान / मासिक अनुबन्ध की राशि				
8. अ	प्राविडेन्ट फण्ड का नम्बर (यदि हो)				
8. ब	श्रमजीवी पत्रकार की हैसियत से कार्य / सेवा करने का अनुभव				
क्र.सं.	संगठन का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	पृथक होने की तिथि	सेवाकाल
9.	स्थायी पता				
10.	लखनऊ में निवास का पता				
11.	प्रतिनिधि का फोन / मोबाइल नम्बर कार्यालय का फोन नम्बर आवास का फोन नम्बर				

12.	समाचार प्रेषण का माध्यम (टेलीप्रिन्टर / फैक्स / ई-मेल)	
13.	संस्थान का फैक्स नम्बर	
14.	संस्थान की ई-मेल आई डी	
15.	संस्थान के सम्पादक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	

फोन नम्बर.....मोबाइल नम्बर.....

पत्र प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक.....नाम.....

.....

सत्यापन

मैं.....सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि मेरे दिये गये उपरोक्त विवरण सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

मैं.....सम्पादक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....

.....श्री.....को राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध करता हूँ। वर्तमान में हमारे संस्थान के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों की संख्या.....है।

हस्ताक्षर.....

नाम एवं पदनाम.....

मोहर सहित.....

अनिवार्य संलग्नक :-

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
2. नियुक्ति पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
4. गत तीन माह की वेतन पर्चियों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ / अनुबन्ध राशि के भुगतान का सेवायोजनों द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. टिकट साईज के तीन फोटोग्राफ।

)

(

(मुद्रक एवं प्रकाशन द्वारा भरा जाय)

1-	संस्थान का नाम	
2-	पूरा पता	
3-	प्रेस / प्रेसों के नाम, डाक के पूरे पते सहित, जहां समाचार पत्र / पत्रिका का मुद्रण होता है :-	
4-	प्रकाशन अवधिदैनिक / साप्ताहिक / पाक्षिक	
5-	मुद्रण पद्धति (आफसेट / लेथू / रोटरी मशीन / लेटर प्रेस आदि)	
6-	प्रिन्टिंग मशीन की प्रति घंटा छपाई क्षमता	
7-	सशुल्क प्रसार संख्या.....	एक प्रति का मूल्य..... रूपये
8-	यदि R-N-I-/D-A-V-P-द्वारा जांच की गयी है, तो प्रसार दावे का सत्यापन वर्ष:-	
9-	पैन नम्बर	

हस्ताक्षर मुद्रक एवं प्रकाशक.....

नाम.....

पता.....

दिनांक.....

(ब) (प्रिन्ट मीडिया के अतिरिक्त अन्य पत्र-प्रतिनिधि के सम्बन्ध में सूचना)

(कृपया पूरे उत्तर लिखें)

1. पूरा नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. समाचार मीडिया संगठन का नाम.....
4. मीडिया का प्रकार.....
(इसका निर्धारण परिशिष्ट-2 बी के अनुरूप होगा।)
5. मुख्यालय का पता.....
टेलीफोन / मोबाइल न0..... फैक्स न0.....
- E-Mail I-D-.....
- वार्षिक टर्न ओवर
- पत्रकारिता का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है).....
- प्रतिदिन / प्रति सप्ताह प्रसारण (समाचार बुलेटिनों) का कुल समय.....
- सशुल्क ग्राहक संख्या (केवल एजेंसियों हेतु).....

हस्ताक्षर मुख्य कार्यकारी /

अधिकृत अधिकारी.....

नाम.....

पता.....

दिनांक.....

अनिवार्य संलग्न :-

1. वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण।
2. ग्राहक संख्या (सब्सक्राइबर) का प्रमाण।

प्रेषक,

विजय शंकर पाण्डेय,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर पदेश लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 16 जून, 2009

विषयः— उ0 प्र0 राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांत—2008 में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति दिए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:389 / सू0एवंज0स0वि0(प्रेस)—2009, दिनांक 26 फरवरी, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उक्त सम्बन्ध में आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर उच्च स्तर से निर्णयोपरांत शासनादेश संख्या—1083 / उन्नीस—1—2008—205 / 2002, दिनांक 4 जुलाई, 2008 में निम्नानुसार संशोधन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निर्देश हुआ है।

3— उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 4 जुलाई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

नियमानुसार	संशोधन
5.1 उ0प्र0 सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने का कार्य इन मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप करेगी।	5.1 उ0प्र0 सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जो राज्य मुख्यालय पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देने हेतु संस्तुति करने का कार्य इस मार्गदर्शिका के प्राविधानों के अनुरूप करेगी।
5.2 उ0प्र0 प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष होंगे और अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र होंगे।	5.2 उ0प्र0 प्रेस मान्यता समिति में सूचना निदेशक अध्यक्ष तथा न्यूनतम उप निदेशक सूचना स्तर का अधिकारी सचिव होगा एवं अन्य 19 सदस्य होंगे जो इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रेस मान्यता हेतु अन्यथा पात्र होंगे।
5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 2 वर्ष का होगा। प्रेस मान्यता समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।	5.3 प्रेस मान्यता समिति का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 2 वर्ष का होगा। प्रेस मान्यता समिति की बैठक 3 महीने में एक बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर उसे पहले भी आयोजित किया जा सकता है।
5.4 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी	5.4 मान्यता समिति की एक स्थायी समिति बनायी

जायेगी जिसमें ऐसे 5 सदस्य लिये जायेगे जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तत्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय ले लें। इस समिति के द्वारा लिए सभी निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।

जायेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 5 सदस्य होंगे। जिनका निवास लखनऊ में होगा, जो तत्कालिक आवश्यकता के प्रकरणों पर निर्णय ले लें। इस समिति के द्वारा लिए सभी निर्णय मान्यता समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे।

—17—

<p>6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।</p> <p>6.10 मान्यता समिति को मान्यता स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस मामले में उसका निर्णय अन्तिम होगा।</p> <p>21. मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश को होगा जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार प्रेस मान्यता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।</p>	<p>6.3 मान्यता प्राप्त करने से किसी मीडिया प्रतिनिधि को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं।</p> <p>6.10 मान्यता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को इस मार्गदर्शिका के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक सूचना में निहित होगा लेकिन मान्यता समिति की संस्तुति को अस्वीकार करने की दशा में निदेशक सूचना को सकारण आदेश पारित करना अनिवार्य होगा।</p> <p>21. मण्डल, जिला एवं तहसील स्तर की मान्यताओं के नवीनीकरण का अधिकार निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश को होगा जो आवश्यकतानुसार इसे जिलाधिकारी/सूचना विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेंगे। मान्यता निरस्त करने का अधिकार प्रेस मान्यता समिति के पास सुरक्षित रहेगा।</p>
--	--

प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका—2008 में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निर्धारित अर्हताये :—

विद्यमान एवं प्राविधान	संशोधन
परिशिष्ट-1 बिन्दु—सी—1 टेलीविजन प्रोग्राम प्रोडक्शन /टेलीकार्स्ट आर्गनाइजेशन टेलीविजन/रेडियो न्यूज प्रोडक्शन आर्गनाइजेशन जिन्होने चैनल/स्टेशनों से एअर टाइम ले रखा हो।	इनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समाचार बुलेटिन/कार्यक्रम सेटेलाइट चैनल पर प्रस्तुत किया जाता हो।

भवदीय,

(विजय शंकर पाण्डेय)

प्रमुख सचिव

प्रेषक,

दिवाकर त्रिपाठी,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2009

विषयः— स्वतंत्र पत्रकारों को राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित अर्हता के संबंध में मार्गदर्शन देने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं01206/सू0एवंज0सं0वि0(प्रेस)-2009, दिनांक 17 अगस्त, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता हेतु निर्गत मार्गदर्शिका-2008 के परिशिष्ट1(ए)(3)(3) में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए निर्धारित अर्हता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2— इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्रदान करने के प्रकरणों में उन दैनिक समाचार पत्रों को प्रतिष्ठित माना जायेगा। जो बहुसंस्करणीय हो तथा जिनकी प्रमाणित प्रसार संख्या 1.00 लाख या उससे अधिक हो। इसी प्रकार उन साप्ताहिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं को प्रतिष्ठित माना जायेगा। जो बहुसंस्करणीय हो तथा जिनकी प्रमाणित प्रसार संख्या 75 हजार या उससे अधिक हो। इसी प्रकार उन पाक्षिक पत्रिकाओं को प्रतिष्ठित माना जायेगा, जो बहुसंस्करणीय हो तथा जिनकी प्रमाणित

प्रसार संख्या 75 हजार या उससे अधिक हो। उपरोक्त प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रतिमाह कम से कम तीन आलेख/समाचार/न्यूज/फीचर/फोटोग्राफ आदि प्रकाशित कराने से नियमित प्रकाशन माना जायेगा।

कृपया स्वतंत्र पत्रकारों की राज्य मुख्यालय की मान्यता प्रकरण में उपरोक्त मानक के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिवाकर त्रिपाठी)
सचिव

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सूचना अनुभाग—1

लखनऊ दिनांक 9 अक्टुबर, 2009

विषयः— आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रतिनिधियों की राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत—2008 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—1211 / सू0एवंज0सं0वि0(प्रेस)—4 / 2011 दिनांक 07. 08.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रतिनिधियों की राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत—2008 के परिशिष्ट—1(ए) में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने विषयक मार्गदर्शक सिद्धांत—2008 में आकाशवाणी/दूरदर्शन के राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।	1— आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ऐसे नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी/प्रतिनिधि जिनका न्यूनतम वेतन रु0 7000/- प्रतिमाह है, राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय की मान्यता हेतु पात्र होंगे। 2— मान्यता कार्ड पर समाचार संकलन के अलावा अन्य कोई सुविधायें प्राप्त नहीं होगी तथा

समाचार संकलन में होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

3— प्रतिनिधि का निवास तैनाती के मुख्यालय (राज्य मुख्यालय/जिला मुख्यालय) पर ही होना चाहिए।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 04.07.2008 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाए।

भवदीय

(नवनीत सहगल)

प्रमुख सचिव

—20—

संख्या—1316(1) / उन्नीस—1—2014—205 / 2002 तद्‌दिनांक।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर निदेश, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र० लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. विज्ञापन प्रभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०लखनऊ।
6. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—७
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

(एन०एच०रिज़वी)

संयुक्त सचिव